

कार्यालय ज्ञाप

गीडा प्राधिकारी बोर्ड द्वारा गठित कास्टिंग कमेटी की बैठक दिनांक 24.02.2022 में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु गीडा क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के संस्तुत दरों का प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना व औद्योगिक विकास/अध्यक्ष, गीडा महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना व औद्योगिक विकास/अध्यक्ष, गीडा महोदय द्वारा दिनांक 25.04.2022 को अनुमोदित किया गया।

योजनावार भूखण्डों के अनुमोदित दरों का विवरण निम्नलिखित है, जो दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी होंगे :-

सहजनवों आवासीय योजना एवं विस्तार सेक्टर संख्या - 23

आवासीय भूखण्डों के लिए दरें प्रतिवर्ग मीटर (रूपये में)			व्यवसायिक भूखण्ड के लिए दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
श्रेणी	2021-2022 (अनुमोदित दर)	2022-2023 (अनुमोदित दर)	श्रेणी	2021-2022 (अनुमोदित दर)	2022-2023 (अनुमोदित दर)
A	17950	19510	0 से 500 वर्ग मीटर तक	30650	33310
B	17950	19510	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	29150	31680
C	17950	19510	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	26750	29070
D	15200	16520	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	24450	26570
E	15200	16520	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	22950	24940

नोट :-

- यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- विद्यालय / कालेज के भूखण्डों की दरें नवीनतम शासनादेश की व्यवस्थानुसार लागू होगी।

न्यू गोरखपुर आवासीय योजना सेक्टर संख्या - 05

आवासीय भूखण्डों के लिए दरें प्रतिवर्ग मीटर (रूपये में)			व्यवसायिक भूखण्ड के लिए दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
श्रेणी	2021-2022 (अनुमोदित दर)	2022-2023 (अनुमोदित दर)	श्रेणी	2021-2022 (अनुमोदित दर)	2022-2023 (अनुमोदित दर)
A	17050	18530	0 से 500 वर्ग मीटर तक	28900	31410
B	17050	18530	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	27500	29890
C	17050	18530	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	25300	27500
D	13600	14780	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	23050	25050
E	13600	14780	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	21850	23750

नोट :-

- यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- विद्यालय / कालेज के भूखण्डों की दरें नवीनतम शासनादेश की व्यवस्थानुसार लागू होगी।

संस्थागत सेक्टर संख्या - 7, 9 एवं 11

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
1	0 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक	7150	7770
2	2001 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	6950	7550
3	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	6500	7060
4	20001 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक	6300	6850
5	40001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	6100	6630

6	80001 वर्ग मीटर से 120000 वर्ग मीटर तक	5650	6140
7	120001 वर्ग मीटर से 200000 वर्ग मीटर तक	5450	5920

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

ग्रुप हाउसिंग

क्रम संख्या	सेक्टर	वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में) दिनांक	वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	एफ०ए०आर०
1.	5 एवं 7 हेतु	11850	12880	2.5
2.	23 हेतु	12800	13910	2.5

नोट - उत्तर प्रदेश शासन एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 3589/8-3-2011/विविध/08 लखनऊ दिनांक 04.08.2011 के अनुसार 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफ०ए०आर० क्रय किया जा सकता है, जिसकी अनुमन्यता गीडा बोर्ड द्वारा स्वीकृत व्यवस्थानुसार मान्य होगी।

व्यवसायिक

सेक्टर	दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
	श्रेणी	2021-2022 (अनुमोदित दर)	2022-2023 (अनुमोदित दर)
से०-7 एवं 9 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड (आवासीय योजना से० 05 के समीप स्थित)	0 से 500 वर्ग मीटर तक	28900	31410
	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	27500	29890
	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	25300	27500
	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	23050	25050
	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	21850	23750
से०-11 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड (आवासीय योजना से०-05 के समीप स्थित) 13, 15 एवं 17 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड (आवासीय योजना से०-23 के समीप स्थित)	0 से 500 वर्ग मीटर तक	30650	33310
	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	29150	31680
	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	26750	29070
	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	24450	26570
	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	22950	24940

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।
 घ. चूंकि प्राधिकारी बोर्ड की 42वीं बैठक के बिन्दु संख्या 42.14 (घ-8) के अनुसार वाणिज्यिक भूखण्डों की दर समीपतम आवासीय योजना के वाणिज्यिक भूखण्ड के समतुल्य ही रखा जाना था, परन्तु सेक्टर-11 के वाणिज्यिक भूखण्ड गीडा के सबसे विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत है एवं फास्ट ग्रोइंग एरिया व फोर लेन पर स्थित होने के फलस्वरूप इनके दर सेक्टर-13, 15 एवं 17 के वाणिज्यिक भूखण्डों के दर के समतुल्य रखने की संस्तुति करती है।

औद्योगिक सेक्टर संख्या 13, 15 एवं 17

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	5550	6030
2	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	5450	5920
3	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	5350	5810
4	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	5200	5650

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना सेक्टर संख्या 22 एवं 23

उपयोग	दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
ट्रांसपोर्ट एजेन्सी हेतु	—	18900	20540
दुकाने, ढाबा, होटल हेतु एवं अन्य व्यवसायिक भूखण्डों हेतु आदि	0 से 500 वर्ग मीटर तक	30650	33310
	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	29150	31680
	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	26750	29070
	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	24450	26570
	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	22950	24940

नोट :- क. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

औद्योगिक सेक्टर 13 एवं 15 (ग्राम कालेसर एवं ग्राम हरैया कानूनगो)

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	6000.00	6520
2	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	5950.00	6470
3	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	5900.00	6410
4	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	5850.00	6360

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त ली जायेगी।
 ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

औद्योगिक सेक्टर 26 (ग्राम भीटी रावत)

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	6000.00	6520
2	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	5600.00	6090
3	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	5200.00	5650
4	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	4800.00	5220

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।
 ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।

दूरभाष : 0551-2580010, ईमेल-आईडी : ceogida-up@up.gov.in/ceogida@rediffmail.com

पत्रांक : 463 / वित्त-3/कारस्टिंग कमेटी/2022-23, दिनांक 29-अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि :-

- 1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त/अध्यक्ष, गीडा महोदय, लोक भवन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ पत्र प्रेषित।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को अनुपालनार्थ।
- 3- सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति), गीडा को अनुपालनार्थ।
- 4- सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी, गीडा को अनुपालनार्थ।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी